



2026:AHC:68233

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 2199 वर्ष 2026

उजाला देवी पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता: राजीव उपाध्याय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 86

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणकर्ता के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर सामग्री का अवलोकन किया।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण को इस आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति देने के लिए प्रार्थना के साथ पेश किया गया है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 6 वें/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, जौनपुर की अदालत द्वारा धारा 363, 366, 342, 368 भ०द०वि० और 7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना-मडियाहूं, जिला जौनपुर में पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है और इसके अलावा संबंधित अदालत को मुकदमे के दौरान पीड़ित/अ०सा०-2 का आगे बयान दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में पीड़िता स्वयं पुनरीक्षणकर्ता है। उसकी मुख्य परीक्षा को विचारण न्यायालय के समक्ष अ०सा०-2 के रूप में दर्ज किया गया था और उससे जिरह भी की गई थी। उसकी जांच के दौरान उसके बयान उचित तरीके से दर्ज नहीं किए गए। उसने इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति भी उठाई लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया और उसकी मुख्य परीक्षा और जिरह भी पूरी हो गई। चूंकि कुछ तथ्यों को अछूता छोड़ दिया गया है, इसलिए, पुनरीक्षणकर्ता/पीड़ित को फिर से जांच करने की अनुमति देने की प्रार्थना करता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसे 13.03.2026 के आदेश द्वारा अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने 13.03.2026 के आदेश को पारित करने में गलती की है, इसलिए, इसे रद्द करने और पुनरीक्षण की अनुमति देने की प्रार्थना करता है।

अपर शासकीय अधिवक्ता ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि पीड़िता की जांच अ०सा०-2 के रूप में की गई थी। 14.10.2025 को उसकी मुख्य परीक्षा के बाद उसकी जिरह दर्ज की गई लेकिन समय की कमी के कारण उस दिन यह पूरी नहीं हो सकी। 28.10.2025 को फिर से उससे जिरह की गई और उसकी जिरह पूरी हो गई। उसने संतोष के स्थान पर सुनील का नाम सही करने के लिए एक आवेदन दायर किया, उस आवेदन का उसी दिन विचारण न्यायालय द्वारा निपटारा कर दिया गया और सुधार शामिल किया गया। इसके बाद, पुनरीक्षणवादी ने उसे वापस बुलाने के बाद 06.03.2026 को उससे फिर से पूछताछ कराने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया और उसकी जिरह पूरी होने के बाद पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उस आवेदन को पेश किया गया। अब तक अ०सा०-3, 4 और 5 के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर किया गया आवेदन केवल विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी जिरह में कमियों को भरने के लिए था। विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षा के दौरान हुई कमियों को दूर करने के लिए आवेदन दायर किया गया है, जिसके लिए उसकी पुनः परीक्षा और उसकी जिरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर विचार किया है और फिर विचाराधीन आदेश पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि यदि कुछ बिंदुओं पर उनकी जांच नहीं की गई है तो वह लोक अभियोजक के माध्यम से अदालत का रुख कर सकती हैं, जिस पर अदालत धारा 311 द०प्र०स० के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश पारित कर सकती है। इस तरह, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.03.2026 के आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य प्रतीत नहीं होता है, लेकिन यह पुनरीक्षण योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षणकर्ता के साथ-साथ अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों का अवलोकन,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश और दिनांक 06.03.2026 को विचारण न्यायालय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए पुनरीक्षणवादी के आवेदन की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता का बयान विचारण न्यायालय के समक्ष एग्जामिनेशन-इन-चीफ के रूप में दर्ज किया गया था और उसके बाद, उसे दो दिनों में जिरह का अवसर दिया गया था और अधिवक्ता की उपस्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा उसकी जिरह भी दर्ज की गई थी। अदालत के समक्ष दिए गए बयान को पीठासीन अधिकारी ने स्वयं दर्ज किया था जैसा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं दिए गए बयानों और प्रमाण पत्र से प्रतीत होता है। इस तरह, एक बार गवाह का बयान पूरा होने के बाद, उसी विषय पर उसकी पुनः परीक्षा और पुनः जिरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि गवाह से पूछने से कुछ बच जाता है, तो गवाह के पास लोक अभियोजक के माध्यम से धारा 311 द० प्र० स० के तहत एक आवेदन भेजने का विकल्प हो सकता है ताकि आवेदन में उल्लिखित विशेष प्रश्नों पर उसकी फिर से जांच की जा सके, लेकिन उन प्रश्नों से संबंधित नहीं है जो पहले से ही मुख्य परीक्षा या जिरह के दौरान पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2026 को पारित आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य प्रतीत नहीं होता है, लेकिन यह संशोधन शून्य होने के कारण किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, इस आपराधिक पुनरीक्षण को अंततः प्रवेश चरण में ही **निस्तारण** किया जाता है।

मार्च 31, 2026

अशोक गुप्ता

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)